

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या:सी- 133 /ई-2/171 विविध/स्था./17, लखनऊ : दिनांक : जून 23, 7

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उन्हें उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	सहायक अभियन्ता का नाम/गृह जनपद	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5
1.	राम गोविन्द सिंह (वाराणसी)	शारदा सहायक खण्ड-41, अमेठी ✓	बंधी प्रखण्ड-2, राबट्सगंज ✓	रिक्त पद पर। स्वयं के अनुरोध पर।
2.	प्रमोद कुमार त्रिपाठी (कौशाम्बी)	सिंचाई खण्ड-2, उन्नाव ✓	सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद ✓	रिक्त पद पर। स्वयं के अनुरोध पर।
3.	सुजीत कुमार सिंह यादव (गाजीपुर)	चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, चंदौली ✓	सम्बद्ध अष्टदशम मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद ✓	रिक्त पद पर। स्वयं के अनुरोध पर।
4.	प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव (बलिया)	पूर्वीगंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीवाबाद ✓	अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, वाराणसी (प्रथम उपखण्ड) ✓	रिक्त पद पर। स्वयं के अनुरोध पर। पत्रांक:सी-319/ई-2/दिनांक 2.12.16 के आंशिक संशोधन में।

पी0 के0 सिंह
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या:सी- 133 /1/ई-2/दिनांक: 23/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

कमश:---2-

(2)

3. संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को इन स्थानान्तरण आदेशों की प्रति हस्तगत कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुये संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करेगें, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित अधिकारी आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती के स्थान पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
4. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (परिकल्प एवं शोध), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रशिक्षण पत्रावली हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ (ई-2), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना/मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-स्तर-1), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महासचिव, उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता संघ/सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लखनऊ।
8. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

22.6.17

(नीरज कुमार)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग